

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : **UPFS/2022/50080/GKP/GORAKHPUR/309/CFO**

दिनांक : **07-05-2022**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AISHPRA LIFESPACES THROUGH DIRECTOR SHRI ANOOP SARAFF** पता **ARAZI NO-1133, 1134 MI, 1135 MI AND OTHERS, AT-TARAMANDAL ROAD, OPPOSITE SAHARA ESTATE, GORAKHPUR** तहसील - **SADAR** प्लॉट एरिया **51798.35 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **58283.37** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **5** जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER K	15	1	44.850 mt.
TOWER L	15	1	44.850 mt.
TOWER M	15	1	44.850 mt.
TOWER I	15	1	44.850 mt.
TOWER J	15	1	44.850 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **AISHPRA LIFESPACES THROUGH DIRECTOR SHRI ANOOP SARAFF** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **AISHPRA LIFESPACES THROUGH DIRECTOR SHRI ANOOP SARAFF** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 1-बेसमेन्ट का स्टेयर केस भूतल तक होना चाहिये तथा भूतल से उपरी तलों के लिये स्टेयर केस पृथक होना चाहिये। 2-बेसमेन्ट का कम्पाटमेशन एन0बी0सी0-2016 के प्रस्तर 4.5.1 के अनुसार रखना अनिवार्य होगा। 3-प्रस्तावित भवन में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2018, तथा एन0बी0सी0-2016 के मानकों में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी। 4-बेसमेन्ट में वाटर कर्टेन से कम्पाटमेशन किये जाने पर पम्प हाउस एवं वाटर टैंक का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार अलग से किया जाना अनिवार्य होगा। 5-प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0 2016 के सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



निर्गत किये जाने का दिनांक : **07-05-2022**
स्थान : **GORAKHPUR**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DEVENDRA KUMAR SINGH

BE7F7CABDD3C527F0B57AF21168840E0A7651DF1

07-05-2022

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.
